संख्या:13/2023/685 ई-2/तेरह-2023-480290

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 03 अप्रैल,2023

विषयः- मे. इण्डिया ग्लाइकाल्स लि., आसवनी, गीडा, जनपद गोरखपुर में स्थापित 100 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के ग्रेन प्लान्ट से उत्पादित ग्रेन स्प्रिट को 30 प्रतिशत पेय प्रयोजन हेतु तथा शेष 70 प्रतिशत औद्योगिक प्रयोजन हेतु निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-325/दो-प्रा.डी.-126, दिनांक 16-03-2023 तथा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 29-03-2023 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या:670ई-2/तेरह-2023-480290, दिनांक 31-03-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16-03-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स इण्डिया ग्लाइकाल्स लि., आसवनी, गीडा, जिला गोरखपुर में स्थापित 100 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के ग्रेन प्लान्ट से उत्पादित ग्रेन स्प्रिट को 30 प्रतिशत पेय प्रयोजन हेतु तथा शेष 70 प्रतिशत औद्योगिक प्रयोजन हेतु निर्धारित किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा उत्पादन करते समय निम्नलिखित शर्तों का भी अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा:-

(क) आसवनी में स्थापित 100 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के अनाज पर प्लान्ट चलाए जाने से पूर्व उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रदूषण भार में वृद्धि नहीं होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा तथा आसवनी द्वारा समस्त आवश्यक पर्यावर्णीय तथा अन्य सांविधिक शर्तों का पालन किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ख) प्रश्नगत इकाई द्वारा अनाज से एथनाल, ई.एन.ए. उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों का संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(ग) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(घ) इकाई द्वारा पर्यावरण एवं वन प्रदूषण तथा समस्त वांछित एन. ओ. सी. इकाई शुरू करने के पूर्व देना होगा ।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।